



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1009

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19415 वर्ष 2025

गौतम प्रसाद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	बलराम जी वर्मा
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम जी वर्मा और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 01.01.1994 को स्वीकृत पद के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने नियमितीकरण के लिए प्रतिवादियों के समक्ष निवेदन किया। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने 20.05.1997 को कुछ निर्देश जारी किए और फिर एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें उम्मीदवारों से 21.07.1997 तक आवेदन जमा करने को कहा गया। साक्षात्कार 04.08.1997 को हुआ और 12.08.1997 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया, वह भी अस्थायी आधार पर। याचिकाकर्ता का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया गया और 05.03.1998 को उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई, जिसे रिट-ए संख्या 31720 वर्ष 1998 में चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 23.08.2023 को हुआ। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता 31.10.2022 को सेवानिवृत्त हो गए। रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वे 01.01.1994 से दी गई संपूर्ण सेवा अवधि की गणना करते हुए पेंशन के भुगतान के हकदार हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया गया, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 2 रिट याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार आदेश प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विचार हेतु अग्रसर होगा।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)